उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल
फौजदारी अपील संख्या 261 वर्ष 2012

1. रमन शर्मा पुत्र राम कुमार शर्मा
2. ज्ञानी उर्फ ज्ञान सिंह पुत्र नीलू सिंह
निवासीगण ग्राम फौजी मटकोटा थाना रूद्रपुर
जिला रूद्रप्रयाग।
3. मुकेश चतुर्वेदी पुत्र श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी
निवासी ग्राम फौजी मटकोटा थाना रूद्रपुर
जिला रूद्रप्रयाग। **.....प्रार्थी/अपीलकर्तागण**

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य **.....प्रतिवादी**

उपस्थितः
श्री पंकज चतुर्वेदी, अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता
श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, डिप्टी ए0जी0 सहित सुश्री शिवांगी गंगवार संक्षिप्त धारक राज्य की ओर से।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह फौजदारी अपील तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 223 वर्ष 2007 में दिनांक 12.09.2012 को पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा अपीलकतागर्ण को भा0द0सं0 की धारा 452 व 323 के तहत दोषसिद्ध करते हुए एक–एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक–एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

2. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू–1 छोटे लाल ने इस कथन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–ए1) दर्ज कराई कि दिनांक 07.06.2004 को वह और उसका

दोस्त हरिओम उसके गावं के श्री संजय सिंह द्वारा द्वारा आयोजित समारोह में शामिल थे। उसके गाँव का राकेश चतुर्वेदी (आरोपी नं 3) अपने दोस्तों के साथ भी वहाँ मौजूद था। दोपहर लगभग 1.00 बजे, राकेश चतुर्वेदी ने शिकायतकर्ता को फोन किया और अपमानजनक शब्द कहे, इसके बाद राकेश चतुर्वेदी और उसके दोस्त रमन शर्मा और ज्ञानी ने उसके साथ लात–घूंसों से मारपीट शुरू कर दी और उन्होंने उसके दोस्त हरिओम के साथ भी गाली–गलौज की और उसके साथ मारपीट की। समारोह में उपस्थित लोगों ने बीच–बचाव करने पर शिकायतकर्ता और उसका दोस्त दोनों अपीलकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल रहे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी बहन, श्रीमती वीरवती के घर में शरण ली। लेकिन अपीलकर्ता, जो पिस्तौल, तलवार और डबल बैरल से लैस थे, ने शिकायतकर्ता का पीछा किया और श्रीमती के घर में प्रवेश किया। जहां उन्होंनें शिकायतकर्ता की बहन वीरवती और जीजा के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की इसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ता को जबरन बोलेरो कार में बैठाया और उसे मारने के इरादे से एक सुनसान जगह पर ले गये, लेकिन अंधेरा होने के कारण शिकायतकर्ता वहां से भागने में सफल हो गया।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श ए–1) मु0अ0सं0 520 वर्ष 2004 अन्तर्गत धारा 504, 323, 452, 341 506, 307 भा0द0सं0 और धारा 3(1)(एक्स) एस./एसटी एक्ट के अन्तर्गत अपीलार्थियों के विरुद्ध पंजीकृत की गयी। पी0डब्ल्यू– 7 श्री रणजीत सिंह ने मामले की विवेचना की और विवेचना पूरी होने पर धारा 425, 323, 307, 304, 504 भा0द0सं0 एवं धारा (1) (एक्स)

एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 452, 323, 307 सपठित धारा 149, 341, 504, 506 भा0द0सं0 एवं धारा (1)(एक्स) एससी/एसटी के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण/अपीलकर्ताओं के द्वारा लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण किये जाने का कथन किया।

4. अभियुक्त/अपीलकर्तागण के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सात गवाह, पी0डब्लयू0–1 छोटे लाल (शिकायतकर्ता), पी0डब्लयू0–2 चतरपाल, पी0डब्लयू0–3 हरिओम (चश्मदीद गवाह), पी0डब्लयू0–4 डॉ रोजेंद्र सिंह, जिन्होंने चिकित्सकीय परीक्षण किया, पी0डब्लयू0–6 श्रीमती वीरवती, शिकायतकर्ता की बहन, पी0डब्लयू0–6 योगेन्द्र गिरी और पी0डब्लयू0–7 श्री रणजीत सिंह बोरा मामले के मामले के विवेचक को परीक्षित कराया है।

5. धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण के बयान अंकित किये गये। जिसके जवाब में उनके द्वारा कथन किया गया कि उन्हें दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है परन्तु अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे आरोपियों के अपराध को साबित कर दिया है और उन्हें भा0द0सं0 की धारा 323 और 452 के तहत दोषसिद्ध करते हुए एक–एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक–एक हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा अन्य धाराओं के अपराध से

दोषमुक्त कर दिया गया। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील योजित की गई है।

6. बहस के स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को सजा की मात्रा तक ही सीमित रखा और प्रार्थना की कि वह दोषसिद्धि पर अपनी अपील पर जोर नहीं देना चाहते। उनका तर्क था कि घटना वर्ष 2004 की है और तब से लगभग 16 वर्ष बीत चुके हैं और आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण अपीलकर्ता को लगातार मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है।

7. मैंने उभयपक्षक के विद्वान अधिवक्ता को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अवलोकन किया ।

8. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का दोबारा विश्लेषण व विवेचन करने के उपरांत और उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करने के बाद, मुझे विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त धाराओं के तहत अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषसिद्ध ठहराया है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की सजा की पुष्टि की जाती है। अब, इस न्यायालय को केवल सजा के बिंदु पर अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करना है।

9. भा0द0स0 की धारा 323 और 452 के तहत कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह घटना वर्ष 2004 की है और 16 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। यह न्यायसंगत और उचित होगा यदि विचारण न्यायालय द्वारा

अपीलकर्ताओं को दी गई सजा को उनके द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

10. तदनुसार, भा0द0सं0 की धारा 323 और 452 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। हालाँकि, उपर वर्णित कारणों से कारावास की सजा को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को पहले से ही भुगती गई सजा की अवधि तक की सजा दी जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई जुर्माने की सजा बरकरार रहेगी। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत प्रपत्र अपास्त किये जाते हैं। जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय को अविलम्ब संबंधित न्यायालय के सूचनार्थ प्रेषित करे और अवर न्यायालय का अभिलेख अवर न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए।

(लोक पाल सिंह जे.)
13.01.2021

पारूल